"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च 2013—फाल्गुन 24, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2013

क्रमांक ई-1-1/2013/एक/2.—श्री धनंजय देवांगन, भा.प्र.से., उप सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 25 फरवरी, 2013 से 19 अप्रैल 2013 तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में आयोजित प्रशिक्षण हेतु नियोजित किया गया है. उक्त प्रशिक्षण अवधि के दौरान उप सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का कार्य, सुश्री रीता शांडिल्य, भा.प्र.से., उप सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग एवं संचालक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सम्पादित करेंगी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

2. श्री जी. आर. चुरेन्द्र, भा.प्र.से., उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 25 फरवरी, 2013 से 19 अप्रैल 2013 तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मूसरी में आयोजित प्रशिक्षण हेतु नियोजित किया गया है. उक्त प्रशिक्षण अवधि के दौरान उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का कार्य, श्री एस. पी. शोरी, भा.प्र.से. (2000), संयुक्त सचिव, गृह विभाग अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2013

क्रमांक एफ 5-2/2012/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री अभय मनोहर सप्रे, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 10, 17, 18, 19 एवं 21 सितंबर, 2012 (कुल 05 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित लघुकृत अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2013

क्रमांक एफ 1-124/22-1/2012.—राज्य शासन एतद्द्वारा मंत्री परिषद् में लिये गये निर्णय दिनांक 01-02-2013 (आयटम क्र. 72.1) के परिपालन में एकीकृत वॉटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (SLNA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के सृजित पद का ग्रेड वेतन रु. 8700/- के स्थान पर रुपये 8900/- किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, उप-सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2013

संशोधन आदेश

क्रमांक 1364/111/21-ब/छ.ग./2013.—इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक-1189/390/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 10-02-2011 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

संशोधन

उक्त आदेश के पंक्ति चार में शब्द एतद्द्वारा के पश्चात् "श्रीमती प्रज्ञा पचौरी आत्मज श्री जे. पी. पटेरिया" के स्थान पर "श्रीमती प्रज्ञा पचौरी पति श्री जे. पी. पटेरिया" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2013

क्रमांक एफ 01-48/दो गृह/भापुसे/2001.—श्री गिरधारी नायक, भा.पु.से., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छ.ग. रायपुर को दिनांक 02-02-2013 से दिनांक 13-02-2013 (12 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री नायक आगामी आदेश तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छ.ग. रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री गिरधारी नायक को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. श्री गिरधारी नायक, भा.पु.से., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छ.ग. रायपुर के उक्त अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाए, छ.ग. रायपुर का प्रभार श्री बी. पी. पौषार्या, उप पुलिस महानिरीक्षक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छ.ग. रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गिरधारी नायक, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2013

क्रमांक एफ 1/06/दो गृह/भापुसे/2005.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अभिषेक पाठक, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, कोरिया (छ.ग.) को पारिवारिक कारणों से गृह नगर लखनऊ (उ.प्र.) प्रवास हेतु दिनांक 31-01-2013 से दिनांक 06-02-2013 तक कुल (07 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पाठक आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, कोरिया, छत्तीसगढ़ के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पाठक को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पाठक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री पाठक के अवकाश अवधि में श्री गोवर्धन ठाकुर (रापुसे) सेनानी, 12वीं वाहिनी, छसबल, रामानुजगंज (छ.ग.) अपने कार्य के साथ-साथ पुलिस अधीक्षक, कोरिया का कार्य भी संपादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2013

क्रमांक एफ 1/16/दो गृह/भापुसे/2012.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री संतोष सिंह, परिवीक्षाधीन भापुसे, को स्वयं के विवाह हेतु दिनांक 31-01-2013 से दिनांक 15-02-2013 तक कुल (16 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 16 एवं 17-02-2013 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह आगामी आदेश तक प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु जिला दुर्ग पर पुन: उपस्थित होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2013

क्रमांक एफ 1/02/दो गृह/भापुसे/2009.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री शेख आरिफ हुसैन, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, बघेरा-दुर्ग, दुर्ग (छ.ग.) को दिनांक 21-01-2013 से दिनांक 01-02-2013 तक कुल (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री हुसैन आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, बघेरा-दुर्ग, दुर्ग, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री हुसैन को वही वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हुसैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री हुसैन के अवकाश अवधि में श्री राजेन्द्र नारायण दास, भापुसे (छ.ग.) वर्तमान पद के अपने कार्य के साथ-साथ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, बघेरा-दुर्ग, का कार्य भी संपादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 जनवरी 2013

क्रमांक-एफ 5-111/2005/18.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-25/2010/32 रायपुर दिनांक 06-07-2010 द्वारा नियत बिलासपुर निवेश क्षेत्र से नीचे अनुसूची में दिये गये क्षेत्र को अपवर्जित करती है, अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बिलासपुर क्षेत्र की सीमा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-10-2010 अनुसार होगी.

अनुसूची

(अरपा नदी तट के दोनों ओर 200 मीटर तक)

उत्तर में : ग्राम घुटकू, लमेर, लक्षनपुर, लोफंदी एवं कछार के नदी तट भाग की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम कछार, सेन्दरी, कोनी, सरकंडा, चांटीडीह, लिंगयाडीह एवं मोपका के नदी तट भाग की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम मोपका, दोमुहानी, देवरीखुर्द एवं तोरवा के नदी तट भाग की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम तोरवा, जूना बिलासपुर, कुदुदण्ड, मंगला, लोखण्डी, तुरकाडीह, निरतू एवं घुटकू के नदी तट भाग की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

गरियाबंद, दिनांक 22 नवम्बर 2012

क्रमांक 03 क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ/82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	गरियाबंद	आमदी प. ह. नं. 41/22	0.53	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	पैरीघुम्मर व्यपवर्तन योजना के बायीं तट शाखा नहर कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.राजस्व, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 22 नवम्बर 2012

क्रमांक 4 क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ/82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	गरियाबंद	कोकड़ी प. ह. नं. 41/25	1.05	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	पैरीघुम्मर व्यपवर्तन योजना के बायीं तट शाखा नहर कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 22 नवम्बर 2012

क्रमांक 05 क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ/82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	गरियाबंद	पारागांव प. ह. नं. 50	7.79	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	पैरी घुम्मर व्यपवर्तन योजना के बायीं तट मुख्य नहर एवं शाखा नहर कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 22 नवम्बर 2012

क्रमांक/6/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ/82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	गरियाबंद	गरियाबंद प. ह. नं. 25	7.747	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	पैरीघुम्मर व्यपवर्तन योजना के बायीं तट मुख्य नहर एवं शाखा नहर कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 20 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 64/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-उच्चभिट्ठी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.747 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	28/3	0.206
	30/5	0.085
	136/705/2	0.045
	136/705/7	0.049
	136/705/3	0.065
	30/10	0.057
	136/705/5	0.024
	28/2	0.166
	42/2क	0.202
	44/2	0.061
	30/1	0.283
	136/705/1	0.032
	40/2	0.345
	38	0.081
	40/1/2	0.040
	30/7क	0.069
	30/11	0.105
	137/8	0.065
	136/705/6	0.040
	31/1	0.073
	136/705/8	0.004
	40/1/1	0.041
	30/2	0.105
	136/705/4	0.040
	31/3	0.109
	30/4	0.089
	42/2ख	0.203
	40/3/2	0.030
	30/9	0.032
	30/8	0.121
	30/7ख	0.093
	30/3	0.085
	34	0.129
	31/5	0.146
	40/3/1	0.031
	30/6	0.168
	173/2	0.053
	31/4	0.065
	44/1	0.061
	31/2	0.049
योग	40	3.747

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजनार्थ.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 18 फरवरी 2013

क्रमांक/1097/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-छुरिया

(ग) नगर/ग्राम-केरेगांव, प.ह. नं. 29

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.173 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
393/5	0.124
416	0.049
440/3	0.081
393/1	0.121
391/4	0.032
398	0.004
409/2	0.004
427/2	0.040
410	0.004
427/3	0.040
415	0.008
417	0.049
427/1	0.036
425	0.136
426	0.061
434/1	0.004
434/4	0.032
440/1	0.057
440/2	0.077
481/2	0.041
393/6	0.028
393/13	0.093
393/14	0.008
396/2	0.004
393/12	0.040
योग 25	1.173

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरियानाला बैराज के केरेगांव माइनर अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.